

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(4)वित्त/राजस्व/18

जयपुर, दिनांक— 01.08.2018

आज्ञा

राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर उक्त सेवा के सुपर टाईम संवर्ग में स्थाई रूप से नियुक्त निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि/पद उपलब्धता की तिथि से वर्ष 2018—19 की रिक्तियों के विरुद्ध उक्त नियमों के नियम 28 ए के उप नियम (7) के तहत चयन के फलस्वरूप राजस्थान लेखा सेवा के हायर सुपर टाईम संवर्ग में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	पद रिक्ति/उपलब्धता की तिथि
1.	श्री रामावतार सांवरिया	(अजा)	01.04.18
2.	डॉ० तुलसीराम अग्रवाल		01.04.18
3.	श्रीमती रितु गुप्ता		01.04.18
4.	श्री आदित्य कुमार पारीक		01.04.18
5.	श्री ओंकार मल राजोतिया		01.05.18
6.	श्री मोहन सिंह	(अजा)	01.05.18
7.	श्री हृदयेश कुमार जुनेजा		01.06.18
8.	श्रीमती कीर्ति जैन		01.07.18
9.	श्री शरद मेहरा		01.08.18
10.	श्री बृजेश किशोर शर्मा		01.09.18
11.	श्री आबिद खान		01.12.18
12.	श्रीमती भारती राज		01.03.19

उपर्युक्त अधिकारीगण पदोन्नति के उपरान्त अपने वर्तमान पद को अस्थायी रूप से यथा आवश्यकता कमोन्नत मानते हुये कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे।

पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे तथा वे उक्त तिथि को कार्यग्रहण कर सूचना इस विभाग को प्रेषित करेंगे।



पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।


राज्यपाल की आज्ञा से,

(प्रवीण गुप्ता)

शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
7. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
8. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
10. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) विभाग।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष।
12. संबंधित अधिकारी।
13. निजी/रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व)